ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(26)खा.वि./आवंटन/2024–02439 जयपुर,दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सुचारू संचालन हेतु समय पर खाद्यान्न के आवंटन एवं उठाव/वितरण किये जाने बाबत।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक आदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सुचारू संचालन एवं चयनित पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य विभाग (मुख्यालय) स्तर से जिलेवार/उचित मूल्य दुकानवार आवंटन तथा जिला स्तर से उठाव एवं वितरण के संबंध में तिथिवार कलेण्डर जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक नागरिक आपूर्ति नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेंहू का शत–प्रतिशत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार माह के प्रत्येक सप्ताह में आवंटित खाद्यान्न का लगभग 25 प्रतिशत गेंहू का उठाव हो जाना चाहिए।

माह दिसम्बर, 2024 हेतु जिलों को आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध माह नवम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह में उठाव किये गये गेंहू की समीक्षा करने पर पाया गया कि कई जिलों द्वारा प्रथम सप्ताह में गेंहू का उठाव शून्य किया गया है, जो कि विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रांसगिक विभागीय आदेश दिनांक 30.10.2024 की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें। यदि उठाव में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को समय से अवगत कराया जाना तथा समाधान कराना सुनिश्चित करें।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपिः–

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(खाद्य) को संबंधित को ईमेल एवं विभागीय बैवसाइट पर अपलोड कराने बाबत

RajKaj Ref
11703368

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.11 19:47:32 IST
Reason: Approved